पत्र संख्या-61।सा०पु०

बिहार सरकार

साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

प्रेषक,

श्री बी० एन० मिश्रा,
साहाय्य एवं पुनर्वास आयुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी (सभी)।

पटना, दिनांक 7 मई 1989 ई०।

विषय—आगजनी की घटनाओं को रोकने के उपाय के संबंध में।

महाशय,

इस वर्ष भीषण गर्मी एवं तेज हवा के कारण राज्य में और वर्षों की अपेक्षा बहुत अधिक अगलगी की घटनायें हो रही हैं जिससे जान-माल की बहुत क्षति हो रही है। ऐसी सूचनायें भी मिली हैं कि आग लगने की ये घटनायें अधिकतर लोगों की लापरवाही के कारण हो रही हैं। कुछ जिला पदाधिकारियों से बातचीत करने पर मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सतर्कता की सलाह दी जाने पर आग लगने की घटनायें कम हुई हैं।

2. अतः निदेशानुसार मुझे कहना है कि आप अपने अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह निर्देश दें कि वे अपने क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से लाउडस्पीकर के जरिये ग्रामीणों को निम्नलिखित सलाह दें :—

(1) गांवों में हवा के झोंको के तेज होने के पूर्व सुबह 8-9 बजे तक खाना पका कर आग को पूरी तरह पानी से बुझा दें।

(2) राख को बाहर फेंकने के पूर्व पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि उसमें आग की चिनगारी नहीं है।

(3) खाना वैसी जगहों में पकायें जहां हवा का झोंका नहीं लगे।

(4) हुक्का, बीड़ी, सिगरेट आदि पीकर उसे बिना पूरी तरह बुझाये नहीं फेंकें।

3. भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी भी हो गई है। जब आग लग जाती है तो उस समय काफी मात्रा में पानी नजदीक में उपलब्ध रहने से आग बुझाने में काफी मदद मिलती है। अतः गांवों में जहां तक हो सके जल-संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय ताकि आग पर शीघ्रातिशीघ्र काबू पाया जा सके। सड़क से [illegible]टे स्थानों पर अग्निशामक यंत्र के सूचना मिलते ही अविलम्ब घटना स्थल पर पहुंचकर आग बुझाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये।

4. जिला के जन-सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से भी पूरे जिले विशेषकर देहाती क्षेत्रों में उपरोक्त निदेशों का व्यापक प्रचार एवं प्रसार कराने की व्यवस्था की जाय। अनेक [illegible] विभागीय पत्रांक 936, दिनांक 9 मार्च 1989 के साथ भेजे गये विहित प्रपत्र में सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। जिससे मुख्य मंत्री जी को साप्ताहिक सूचना प्रति शनिवार को विभाग को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

बी० एन० मिश्रा,
साहाय्य एवं पुनर्वास आयुक्त।